संख्या-14-2025-डीएफए-1159784-38-6099-99-25-2025

प्रेषक,

जी0एस0प्रियदर्शी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 02-07-2025

विषयः मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासनादेश संख्या-819/81-5-2024, दिनांक 13-01-2025 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त शासनादेश के बिंदु संख्या-7.1 (च) में यह निर्देश दिये गये हैं कि "प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु घने वन/मियावाकी पद्धति से वन स्थापित किए जाएं।"

2- उक्तः शासनादेश में मियावाकी पद्धति को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है, जबकि इस नवीनतम और उपयोगी पद्धति को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किये जाने की समसामयिक आवश्यकता है। मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कराये जाने से पर्यावरण सुधार के साथ ही पौधों की जीवितता भी अधिक होती है।

3- उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर सर्कुलर 2024-25 के अनुमन्य कार्यों की सूची के अनुसार Plantation of Forestry Trees in Fields for Community संबंधी कार्य अनुमन्यता की श्रेणी में सम्मिलित है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भी घने वन/मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण कार्य कराए जाने हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

जी0एस0प्रियदर्शी
सचिव।

संख्या-14-2025-डीएफए-1159784-38-6099-99-25-2025तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त परियोजना निदेशक/ समस्त उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जी0एस0प्रियदर्शी
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in